INDIAN PARLIAMENT- PART-3

भारतीय संसद -3

Presented By:
Er. Gaurav Pandey
M.Tech NIT JALANDHAR
PhD IIT-R (Pursuing)

- In India, the Union Budget is prepared by the Department of Economic Affairs of Ministry of Finance. Earlier the budget was presented in two categories i.e. Railway budget and General budget.
- Now there is no separate budget for Indian Railways, it has been "merged" with the General Budget.
- Budget consists of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for one financial year. The financial year begins on 1st April each year.
- ***In simple terms, the budget is an annual financial statement of the revenue and expenditure of a government.***
- **Note-** The term 'Budget' is not mentioned in the Indian Constitution, the corresponding term used is '***Annual Financial Statement' (article 112).***

- भारत में, केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। पहले बजट दो कैटेगरी में पेश किया जाता था यानी रेल बजट और आम बजट।
- अब भारतीय रेलवे के लिए अलग से कोई बजट नहीं है, इसे आम बजट के साथ "विलय" कर दिया गया है।
- बजट में एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है।
- सरल शब्दों में, बजट सरकार के राजस्व और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है।
- नोट- भारतीय संविधान में 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है, इसी शब्द का प्रयोग 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (अनुच्छेद 112) है।

CoachUp IAS

What are the constitutional requirements which make Budget necessary?

1. **Article 265:** provides that 'no tax shall be levied or collected except by authority of law'. [Taxation needs the approval of Parliament.]

2. **Article 266:** provides that 'no expenditure can be incurred except with the authorization of the Legislature' [Expenditure needs the approval of Parliament.]

3. **Article 112: The President is responsible** for submitting the budget to the Lok Sabha, according to **Article 112 of the Indian Constitution.**

The President has delegated to the Union Finance Minister the responsibility of preparing the budget, and presenting it in the parliament.

बजट को आवश्यक बनाने वाली संवैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं?

1. **अनुच्छेद 265:** प्रावधान करता है कि 'कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा'। [कराधान को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है।]
2. **अनुच्छेद 266:** प्रावधान करता है कि 'विधायिका के प्राधिकरण के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता है' [व्यय को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है।]
3. **अनुच्छेद 112:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा को बजट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बजट तैयार करने और उसे संसद में पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

Union Budget Presentation

- In India, the Budget is presented to Parliament on such date as is fixed by the President.
- Between 1999 -2016, the General Budget was presented at 11 A.M. on the last working day of February.
- ***However, since 2017, the Indian Budget is presented on 1st February.***
- As a convention, ***Economic Survey is also tabled in the Parliament – one day prior to budget submission, i.e. on January 31st.***
- The timing of Budget presentation will vary during an election year.

The Budget documents presented to Parliament comprises the Finance Minister's Budget Speech and include the following:

- ***Annual Financial Statement (AFS) – Article 112***
- ***Demands for Grants (DG) – Article 113***
- ***Appropriation Bill – Article 114(3)***
- ***Finance Bill – Article 110 (a)***

The provisions related to revenue are covered under ***Finance Bill*** and the provisions related to expenditure are covered under ***Appropriation Bill***.

Both, Finance Bill and Appropriation Bill are Money Bill because these bills involve money matters mentioned under Article 110.

Coachup IAS

Finance Bill- It consists of sources from where revenue would be collected by the government in the coming year.

Appropriation Bill- It consists of provisions relating to areas in which expenses will be incurred in the coming year. It consists of two types of expenditures:

- **Demand for grants made by various ministries:** Funds are given to various ministries from the consolidated fund of India after the approval is given by the Parliament.
- **Charged Expenditures under Article 112(3)-** It includes expenditures specified in the constitution. There is no voting on charged expenditure. It includes emoluments of the president and the salaries and allowances of the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha, speaker and deputy speaker of Lok Sabha, Judges of the Supreme Court, CAG, chairman and members of UPSC, and certain other bodies/agencies specified in the constitution.

Note: In an election year, Budget may be presented twice — by ***Vote on Account*** (used along with **Interim Budget)** and later ***full Budget after elections***.

During an election year, the ruling government generally opts for a vote-on-account or interim budget instead of a full budget. As, it would be inappropriate to impose policies that may or may not be acceptable to the incoming government taking over in the same year.

केंद्रीय बजट प्रस्तुतीकरण-

- भारत में, बजट को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
- 1999-2016 के बीच आम बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर सुबह 11 बजे पेश किया गया था।
- हालांकि, 2017 से भारतीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण भी संसद में पेश किया जाता है - बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले, 31 जनवरी को।
- चुनावी वर्ष के दौरान बजट प्रस्तुत करने का समय अलग-अलग होगा।

Coachup IAS

संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेजों में वित्त मंत्री का बजट भाषण शामिल होता है और इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) - अनुच्छेद 112
- अनुदान की मांग (DG) - अनुच्छेद 113
- विनियोग विधेयक - अनुच्छेद 114(3)
- वित्त विधेयक - अनुच्छेद 110 (a)

राजस्व से संबंधित प्रावधान वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं और व्यय से संबंधित प्रावधान विनियोग विधेयक के अंतर्गत आते हैं।

वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों ही धन विधेयक हैं क्योंकि इन विधेयकों में अनुच्छेद 110 के तहत उल्लिखित धन संबंधी मामले शामिल हैं।

वित्त विधेयक- इसमें ऐसे स्रोत होते हैं जहां से आने वाले वर्ष में सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।

विनियोग विधेयक- इसमें उन क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जिनमें आने वाले वर्ष में खर्च किया जाएगा। इसमें दो प्रकार के व्यय शामिल हैं:

- **विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई अनुदान की मांग:** संसद द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद भारत की संचित निधि से विभिन्न मंत्रालयों को धनराशि दी जाती है।
- अनुच्छेद 112(3) के तहत प्रभारित व्यय - इसमें संविधान में निर्दिष्ट व्यय शामिल हैं। आरोपित व्यय पर कोई मतदान नहीं है। इसमें राष्ट्रपति की परिलब्धियां और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के लोकसभा न्यायाधीशों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सीए अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य और संविधान में निर्दिष्ट कुछ अन्य निकायों / एजेंसियों के वेतन और भत्ते शामिल हैं।

CoachUp IAS

नोट: एक चुनावी वर्ष में, बजट दो बार प्रस्तुत किया जा सकता है - लेखानुदान (अंतरिम बजट के साथ प्रयोग किया जाता है) और बाद में चुनाव के बाद पूर्ण बजट।

चुनावी वर्ष के दौरान, सत्ताधारी सरकार आम तौर पर पूर्ण बजट के बजाय लेखानुदान या अंतरिम बजट का विकल्प चुनती है। जैसा कि, ऐसी नीतियों को लागू करना अनुचित होगा जो एक ही वर्ष में आने वाली सरकार के लिए स्वीकार्य हो भी सकती हैं और नहीं भी।

Vote on Account

- Vote on Account is a special provision by which the Government obtains the Vote of Parliament for a sum sufficient to incur expenditure on various items for a part of the year, usually for two months.
- Vote on Account was widely used along with every budget before 2016 when the date of the budget presentation was the last day of February. Now vote on account is used only in special years like the election years (used along with interim budget).
- So, since 2017, Vote on Account is not usually used as part of the government budgeting process, unless in special cases like an election year.
- Lok Sabha adopts the 'vote on account' under which it authorizes the council of ministers to continue to incur expenditure out of the consolidated fund of India until the next appropriation Bill is adopted.
- Vote on account is adopted because the budget was usually passed in the month of May while financial year begins in April.
- Vote on Account deals only with the expenditure part. But the interim budget, as well as full budget, has both receipt and expenditure side.
- So presentation and passing of vote on account was the first stage in the budget passing process before 2016. Vote on Account is necessary for the working of the government until the full budget is passed.
- As a convention, a vote-on-account is treated as a formal matter and passed by Lok Sabha without discussion.
- Normally, the Vote on Account is taken for two months only. The sum of the grant would be equivalent to one-sixth of the estimated expenditure for the entire year under various demands for grants.

Can Vote on Account be granted for more than 2 months?

Coachup IAS

Yes. During election year the Vote on Account may be granted for a period exceeding two months.

For example, in 2019, Vote on Account was taken for 4 months.

वोट-ऑन-अकाउंट (लेखानुदान) - लेखानुदान एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार वर्ष के एक भाग के लिए आमतौर पर दो महीने के लिए विभिन्न मदों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त राशि के लिए संसद का वोट प्राप्त करती है।

- 2016 से पहले हर बजट के साथ लेखानुदान का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जब बजट पेश करने की तारीख फरवरी का आखिरी दिन था। अब लेखानुदान का उपयोग केवल चुनावी वर्षों जैसे विशेष वर्षों में किया जाता है (अंतरिम बजट के साथ प्रयोग किया जाता है)।
- इसलिए, 2017 के बाद से, लेखानुदान का उपयोग आमतौर पर सरकारी बजट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में नहीं किया जाता है, जब तक कि चुनावी वर्ष जैसे विशेष मामलों में न हो।
- लोकसभा 'वोट ऑन अकाउंट' को अपनाती है जिसके तहत यह मंत्रिपरिषद को भारत की संचित निधि से अगले विनियोग विधेयक को स्वीकार किए जाने तक व्यय जारी रखने के लिए अधिकृत करती है।
- लेखानुदान इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि बजट आमतौर पर मई के महीने में पारित किया जाता था जबकि वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू होता था।
- लेखानुदान केवल व्यय भाग से संबंधित है। लेकिन अंतरिम बजट के साथ-साथ पूर्ण बजट में प्राप्ति और व्यय दोनों पक्ष होते हैं।
- इसलिए 2016 से पहले बजट पारित करने की प्रक्रिया में लेखानुदान प्रस्तुत करना और पारित करना पहला चरण था। पूर्ण बजट पारित होने तक सरकार के कामकाज के लिए लेखानुदान आवश्यक है।
- एक परंपरा के रूप में, लेखानुदान को एक औपचारिक मामला माना जाता है और बिना चर्चा के लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है।

CoachUP IAS

- आम तौर पर, लेखानुदान केवल दो महीने के लिए लिया जाता है। अनुदान की राशि विभिन्न अनुदान मांगों के तहत पूरे वर्ष के अनुमानित व्यय के छठे हिस्से के बराबर होगी।

क्या लेखानुदान 2 महीने से अधिक के लिए दिया जा सकता है?

हाँ चुनावी वर्ष के दौरान दो महीने से अधिक की अवधि के लिए लेखानुदान दिया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, 2019 में, लेखानुदान 4 महीने के लिए लिया गया था।

Vote of Credit

- Lok Sabha can adopt a vote of credit to meet the expenditure whose amount details cannot be precisely stated on account of magnitude and indefinite character of the expenditure. For example, finances required in case of war with another nation or a natural calamity.
- The vote of Credit if like a blank cheque to the executive. So far it has not been adopted in India.

क्रेडिट वोट

- लोकसभा उस व्यय को पूरा करने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट को अपना सकती है जिसका राशि विवरण व्यय के परिमाण और अनिश्चित प्रकृति के कारण सटीक रूप से नहीं बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी अन्य राष्ट्र के साथ युद्ध या प्राकृतिक आपदा के मामले में आवश्यक वित्त।
- क्रेडिट का वोट यदि कार्यपालिका को एक खाली चेक की तरह है। अभी तक भारत में इसे अपनाया नहीं गया है।

Budget Speech

The Budget Speech of the Finance Minister is usually in two parts. Part A deals with the general economic survey of the country while Part B relates to taxation proposals.

FM makes a speech introducing the Budget .The 'Annual Financial Statement' is laid on the Table of Rajya Sabha at the conclusion of the speech of the Finance Minister in Lok Sabha.

CoachUP IAS

Department of Economic Affairs drafts the budget after considering the demands of funds from various ministries and the possible sources of Revenue.

1. **Presentation of the Budget**: The Budget is presented by the Finance Minister in the Lok Sabha. Simultaneously the budget is introduced in the Rajya Sabha for discussion (after budget speech).

2. **General discussion on Budget:** It takes place in both the houses of the Parliament and lasts usually for 3-4 days.

3. **Scrutiny by departmental committees:** After the general discussion of the budget is over, the houses are adjourned for about 3-4 weeks. During this period, the departmental standing committees of the Parliament examine the demand for grants of the concerned ministries and prepare detailed reports on them. These reports are submitted to both the houses of Parliament for consideration.

4. **Voting on demand for Grants:** At this stage, the Lok Sabha can exercise financial control over the executive through passage of various **Cut Motions**. Voting is done on demand for grants. The demands are presented ministry-wise. A demand becomes a grant after it has been voted by the lok Sabha.

5. **Passing of Appropriation Bill:** The appropriation Bill becomes an act after the assent from the President.

6. **Application of guillotine:** Due to lack of time, the Lok Sabha discusses less than 5 % of the demand for grants made by various ministries, and the remaining demands are grouped together and passed without any discussion. This is known as guillotine and it represents the poor financial control of the legislature over the executive.

7. **Passing of the finance Bill:** The Finance bill contains the provisions about the revenues to be collected by the government in the coming year

Cut Motion

A cut motion is a special power vested in members of the Lok Sabha to oppose a demand being discussed for specific allocation by the government in the Finance Bill as part of the Demand for Grants.

If the motion is adopted, it amounts to a no-confidence vote, and if the government fails to jot up numbers in the lower House, it is obliged to resign according to the norms of the House.

The decision to accept a cut motion relies solely on the Speaker of the House. He decides whether a cut motion is admissible under the rules or not.

Types of cut motion

CoachUp IAS

Disapproval of policy cut: A disapproval of policy cut demand seeks the amount of the demand be reduced to Re 1, representing the disapproval of the policy undermining the demand. However, if a member moves the cut, they have to indicate in precise terms the details of the policy which they want to discuss and should be confined to the specific points mentioned in the cut notice.

Economic cut: The economic cut motion calls for a reduction in the allocation of the demand to a specific amount. It represents the economy that can be affected. Such a specified amount may either be a lump-sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand. The notice has to indicate briefly and precisely the particular matter on which a discussion is sought to be raised.

Token cut: A token cut motion is moved so that the amount of the demand is reduced by Rs 100. It gives a member of the Lok Sabha power to vote against a demand discussed by the government.

Generally, the cut motions are moved to bring moral pressure on the executive and to attract the attention of the government towards unnecessary spending. But if these motions are passed, government is obliged to resign.

बजट भाषण

वित्त मंत्री का बजट भाषण आमतौर पर दो भागों में होता है। भाग ए देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है जबकि भाग बी कराधान प्रस्तावों से संबंधित है।

वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए भाषण देते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर 'वार्षिक वित्तीय विवरण' राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है।

आर्थिक मामलों का विभाग विभिन्न मंत्रालयों से धन की मांगों और राजस्व के संभावित स्रोतों पर विचार करने के बाद बजट का मसौदा तैयार करता है।

1. **बजट की प्रस्तुति:** बजट लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही बजट को राज्यसभा में चर्चा के लिए (बजट भाषण के बाद) पेश किया जाता है।
2. **बजट पर सामान्य चर्चा:** यह संसद के दोनों सदनों में होती है और आमतौर पर 3-4 दिनों तक चलती है।
3. **विभागीय समितियों द्वारा जांच :** बजट की सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद सदनों को लगभग 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस अवधि के दौरान, संसद की

CoachUP IAS

विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं और उन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती हैं। इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

4. **अनुदान की मांग पर मतदान:** इस स्तर पर, लोकसभा विभिन्न कटौती प्रस्तावों को पारित करके कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग कर सकती है। अनुदान की मांग पर मतदान होता है। मांगों को मंत्रालयवार प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा मतदान के बाद एक मांग अनुदान बन जाती है।
5. **विनियोग विधेयक का पारित होना:** विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद एक अधिनियम बन जाता है।
6. **गिलोटिन का प्रयोग :** समय की कमी के कारण लोक सभा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई अनुदान की मांग के 5% से कम पर चर्चा करती है, और शेष मांगों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है और बिना किसी चर्चा के पारित किया जाता है। इसे गिलोटिन के रूप में जाना जाता है और यह कार्यपालिका पर विधायिका के खराब वित्तीय नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है।
7. **वित्त विधेयक का पारित होना:** वित्त विधेयक में आने वाले वर्ष में सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले राजस्व के प्रावधान शामिल हैं

कटौती प्रस्ताव

अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध करने के लिए एक कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है।
यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक अविश्वास मत के बराबर होता है, और यदि सरकार निचले सदन में संख्या बढ़ाने में विफल रहती है, तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है।
कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय पूरी तरह से सदन के अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वह तय करता है कि नियमों के तहत कटौती प्रस्ताव स्वीकार्य है या नहीं।

कटौती प्रस्ताव के प्रकार

नीति में कटौती की अस्वीकृति: नीति में कटौती की मांग की अस्वीकृति मांग की राशि को 1 रुपये तक कम करने की मांग करती है, जो मांग को कम करने वाली नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व

CoachUP IAS

करती है। हालांकि, यदि कोई सदस्य कट को आगे बढ़ाता है, तो उन्हें उस नीति के विवरण को सटीक रूप से इंगित करना होगा जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं और कट नोटिस में उल्लिखित विशिष्ट बिंदुओं तक ही सीमित होना चाहिए।

आर्थिक कटौती: आर्थिक कटौती प्रस्ताव मांग के आवंटन में एक विशिष्ट राशि की कमी का आह्वान करता है। यह उस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभावित हो सकती है। ऐसी निर्दिष्ट राशि या तो मांग में एकमुश्त कमी या मांग में किसी वस्तु की चूक या कमी हो सकती है। नोटिस में संक्षेप में और सटीक रूप से उस विशेष मामले को इंगित करना होता है जिस पर चर्चा करने की मांग की जाती है।

सांकेतिक कटौती: एक सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है ताकि मांग की राशि 100 रुपये कम हो जाए। यह लोकसभा के एक सदस्य को सरकार द्वारा चर्चा की गई मांग के खिलाफ वोट देने की शक्ति देता है।

आम तौर पर, कटौती प्रस्ताव कार्यपालिका पर नैतिक दबाव लाने और अनावश्यक खर्च की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाए जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, तो सरकार इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है।

Funds and Accounts of the Government-

Consolidated Fund of India

- All the revenues collected by the government of India are deposited in a fund called Consolidated Fund of India. It is the largest fund of government of India and is placed at the disposal of the Parliament which means that no money can be withdrawn or deposited in the consolidated fund of India without the approval of the Parliament.
- Like consolidated fund of India, there is a consolidated fund of each state which is under the control of legislature of respective states.

Public Account of India

Public Account is constituted under Article 266 (2) of the Constitution of India. Parliamentary approval for expenses from the Public Account is not required. Government schemes Fund, National Investment fund, defence fund, Postal insurance, National small savings fund, provident fund form part of Public Accounts.

Contingency Fund of India

Coachup IAS

- The **fund is held by the Finance Secretary (Department of Economic Affairs) on behalf of the President** of India and it can be operated by executive action.
  The **Contingency Fund of India exists for disasters and related unforeseen expenditures.**
- In 2005, it was raised from Rs. 50 crores to **Rs 500 crore**.
- However, authorization of parliament is needed to recharge this fund from the consolidated fund.

सरकार की निधियां और लेखा-

भारत की संचित निधि-

- भारत सरकार द्वारा एकत्र किए गए सभी राजस्व भारत के समेकित कोष नामक एक कोष में जमा किए जाते हैं। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी निधि है और इसे संसद के निपटान में रखा जाता है जिसका अर्थ है कि संसद की मंजूरी के बिना भारत की संचित निधि में कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है या जमा नहीं किया जा सकता है।
- भारत की संचित निधि की भाँति प्रत्येक राज्य की भी एक संचित निधि होती है जो संबंधित राज्यों की विधायिका के नियंत्रण में होती है।

भारत का सार्वजनिक खाता-

लोक लेखा भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत गठित किया गया है। लोक लेखा से व्यय के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सरकारी योजनाओं का कोष, राष्ट्रीय निवेश कोष, रक्षा कोष, डाक बीमा, राष्ट्रीय लघु बचत कोष, भविष्य निधि लोक लेखा का हिस्सा है।

भारत की आकस्मिकता निधि-

- यह कोष भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव (आर्थिक मामलों के विभाग) के पास होता है और इसे कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित किया जा सकता है। भारत की आकस्मिकता निधि आपदाओं और संबंधित अप्रत्याशित व्यय के लिए मौजूद है।
- 2005 में इसे 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
- हालांकि, इस फंड को समेकित निधि से रिचार्ज करने के लिए संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता है।

CoachUP IAS